I/217685/2024

उत्तराखण्ड शासन
निर्वाचन विभाग
संख्या :3299/XXV-31/2023
दिनांक : 13 जून, 2024

कार्यालय ज्ञाप

भारत निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट संख्या–ECI/PN/120/2024 दिनांक 10 जून, 2024 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत जनपद चमोली की 04–बद्रीनाथ एवं जनपद हरिद्वार की 33–मंगलौर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उप निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित किया गया है। उक्त के क्रम में आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुरूप उप निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता संबंधी विभिन्न प्रकरणों के निस्तारण एवं आयोग को संदर्भित किये जाने हेतु निम्नानुसार एक अनुवीक्षण समिति (Screening Commitee) गठित की जाती है।

क– मुख्य सचिव – अध्यक्ष।
ख– विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव– सदस्य।
(जिस विभाग से संबंधित प्रकरण पर आदर्श आचार संहिता के संबंध में मार्गदर्शन अपेक्षित हो)
ग– सचिव, सामान्य प्रशासन (समन्वयक विभाग) – सदस्य।

2– उक्त के संबंध में आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता से सम्बन्धित किसी भी प्रकरण/प्रस्ताव पर आयोग की अनुमति प्राप्त किये जाने के लिए प्रकरण को आयोग को प्रेषित किये जाने के पूर्व उक्तानुसार गठित अनुवीक्षण समिति आयोग के तद्विषयक दिशा–निर्देशों के आलोक में प्रकरण/प्रस्ताव का भली–भॉति परीक्षण करेगी और परीक्षणोपरान्त यह सुनिश्चित करेगी कि प्रकरण की अविलम्बता क्या है, इसके लिए मतदान/निर्वाचन की समाप्ति तक प्रतीक्षा क्यों नहीं की जा सकती है। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों को पूर्ण विवरण/आवश्यकता पर एक नोट/स्पष्ट अभिमत को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से आयोग के मार्गदर्शन/अनुमोदन हेतु सन्दर्भित किया जायेगा।

Signed by Radha Raturi
Date: 12-06-2024 16:10:08
(राधा रतूड़ी)
मुख्य सचिव।

संख्या : 3299 / XXV-31/2023 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली
2. निम्नलिखित को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि आयोग के आदर्श आचार संहिता मार्गदर्शी सिद्धान्तों/दिशा–निर्देशों के अनुसार पत्रावलियां/सन्दर्भ सीधे मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को प्रेषित न किए जायं बल्कि यदि कोई आवश्यक हो तो उक्तानुसार प्रकरण केवल विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव के माध्यम से ही स्क्रीनिंग कमेटी को संदर्भित करने का कष्ट करें। कृपया इस संबंध में अधीनस्थ विभागों को भी यथोचित निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त, गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, चमोली/हरिद्वार।

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 12-06-2024 18:20:30

(दिलीप जावलकर)
सचिव।